

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2020/5832

दिनांक :- 04 नवम्बर, 2020

-: आ-दे-श :-

- 01 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था/09/2020/4890 दिनांक 24.08.2020 द्वारा श्री दिलीप कुमार वर्मा लिपिक ग्रेड-1 का न्यायालय एसीएमएम क्रम-9 से न्यायालय एसीएमएम क्रम-8, जयपुर महानगर-प्रथम में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा श्री दिलीप कुमार वर्मा पूर्ववत न्यायालय एसीएमएम क्रम-9 से जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम की लेखा शाखा में कार्य करेंगे।
- 02 श्री गोविन्द नारायण मेठी, लिपिक ग्रेड-1 पूर्व में इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत थे जिनका राजस्थान लोक सेवा आयोग से अन्य विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर चयन होने पर दिनांक 18.07.2019 को कार्यमुक्त किया गया था। श्री मेठी को संबंधित विभाग से कार्यमुक्त कर पुनः इस विभाग में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किये जाने पर श्री मेठी द्वारा दिनांक 21.08.2020 को जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम में अपनी उपस्थिति दी गयी है। श्री मेठी का पदस्थापन न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 में लिपिक ग्रेड-1 के रिक्त पद पर किया जाता है।
- 03 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक आदेशों से स्वयं की प्रार्थना पर अन्तर्जिला स्थानान्तरण से इस न्यायक्षेत्र में आये निम्नांकित कर्मचारीगण का पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	माननीय राज0 उच्च न्यायालय का आदेश एवं कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	चन्द्र शेखर पारीक लिपिक ग्रेड-1	G/IB-4(i)(a)/176/5428 Dt. 23.10.2020 DOJ - 28.10.2020 F/N	ACMM No. 8	रिक्त पद पर
2.	आशा मीणा लिपिक ग्रेड-1	G/IB-4(i)(a)/176/4900 Dt. 17.09.2020 DOJ - 21.09.2020 F/N	ACJ&MM No. 9	रिक्त पद पर

नोट :- उक्त दोनों कर्मचारीगण का जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वेतन उक्त पदस्थापन न्यायालय से नियमानुसार आहरित किया जावेगा।

- 04 श्री बदी प्रसाद मीणा शरिस्तेदार ग्रेड-11A, न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-प्रथम को आगामी आदेश तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम के कार्यालय में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है। श्री बदी प्रसाद मीणा को चार्ज का लेन-देन करवाकर तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जावे। श्री मीणा का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले कार्यालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकरिमक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।

3/11
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2020/5832

दिनांक :- 04 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रमारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 04 निजी पत्रावली-संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

3/11
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम